



## कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

### प्रेस नोट

दिनांक-28.05.2025

**विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना शिवपुर मे पंजीकृत दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 50,000/- रु0 का अर्थदण्ड ।**

थाना शिवपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-0086/2016 धारा 376 भा0द0वि0 व धारा 5m/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राजकुमार पटेल पुत्र स्व0 लल्लू पटेल निवासी- नवलपुर बसही चांदमारी थाना शिवपुर जनपद वाराणसी को थानाध्यक्ष शिवपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-28.05.2025 को माननीय न्यायालय ASJ-07/वि0न्या0 पाक्सो-III जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त राजकुमार पटेल उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 5m/6 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष के कारावास की सजा तथा 50,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन  
कमिश्नरेट वाराणसी ।